



१

राजस्व निगरानी प्रकरण क्र. : /2017

प्रस्तुति दिनांक : 04.05.2017

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. गवालियर के समक्ष

R.P.100 · P.B2-17

महेश पिता स्व. श्री रामकिशन अग्रवाल

उम्र वयस्क, धंधा व्यापार,

निवासी - 160-161, भक्त प्रह्लाद नगर,

इन्दौर म.प्र.

— आवेदक / प्रार्थी

पिरुद्ध

- 1- म.प्र. शासन द्वारा उप-पंजीयक
उप जिला-1, पंजीयन कार्यालय,
नवीन कलेक्टोरेट भवन, मोती तबेला, २३८
इन्दौर म.प्र. 05-05-2017
- 2- गोपी पिता श्री जगन्नाथ चमार,
उम्र वयस्क, व्यवसाय कृषि
निवासी ग्राम सिमरोल, तहसील महू
जिला इन्दौर 05-05-2017

कार्यालय अनुसार इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री गोपी पिता श्री जगन्नाथ चमार
प्रार्थी/अपिनायक द्वारा दिनांक ०५-०५-२०१७
को प्रस्तुत।

✓
आधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

— प्रत्यर्थीगण / रेस्पाउन्ट /
अनावेदकगण

N.W.D. 20/5/17
N.W.D. 20/5/17

राजस्व निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959

सहपठित प्रावधान भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 एवं मध्यप्रदेश

लिखिततों के न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975

माननीय अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स,
इन्दौर द्वारा धारा 33 इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 एवं सहपठित प्रावधान
म.प्र. लिखिततों के न्यून मूल्यांकन निवारण अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत
पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 32-बी-103/14-15/33 में पारित आदेश
दिनांक 27.02.2017 से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका माननीय
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

निवारण नियम, 1975

O.M.K.

(9)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक R 71/60 - PB 17

खंड 1

विरुद्ध

21/61

तहसील

जिला

इंदौर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुबिभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
21-6-17	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. के विरुद्ध श्री <u>मिशनरी चट्टी</u> के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/ रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>आवेदनपत्र की ओर से न्यूनता उपरांत कोई उपायित नहीं। तीव्र बार खुकारलगावहि गई, फिर भी कोई उपायित नहीं। अतः अप्पण आम भैरवी में व्यारिज किया जाता है।</p>	प्रस्तुतकार 21-6-17 अधिकारी [पीछे देखिये]